



| | | |
|---------|--------------------------------------|--|
| क्रमांक | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख आदिकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|---------|--------------------------------------|--|

पत्रावली दि 27.2.25 को पेश हो

 19/2/25

02
27/25


पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित।
 अटलें 1 व 2 स्पष्ट अनुपस्थित व
 अभिभाषक भी अनुपस्थित। तीन बार
 आवाज लगायी। अनुपस्थित हैं अतः अट
 सं 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
 की जाती है। बाबत वकील प्राची सूची
 गयी। पत्रावली वाले ओफिस आरपत्र
 द्वारा 212 R.T. Act दि. 12/3/25 को पेश हो

 23/2/25

12/03/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। प्राची
 प्राची की बचत प्रपत्र पर पिस 212 RT T.W. 035
 R.T. Act के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। ग्राम अलीपुर की
 पिस 0130 के आरपी खाना ए 5 मिन 01
 खाना 0.1770 hae एवं खाना 1806 मिन 4
 खाना 0.4805 hae का प्राची रिकॉर्ड खोला
 कृपक है। अतः प्रपत्र प्रथम रूप से प्राची
 के पक्ष में साबित है। प्राची द्वारा साबित
 प्रथम सिद्ध गया है कि अप्राप्यिण प्राची की



| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर अदालत हुकम को में जारी |
|---------------|---|---------------------------------------|
| | <p> उक्त भूमि पर पंजीयन प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रार्थी को समय मजिस्ट्रेट शर्मा को मारपीट पर शिकायत है। प्रार्थी को फसल नहीं बोन दे रहे हैं जिससे प्रार्थी की भूमि परत रह सकती है और अपूरणीय क्षति मानित होगी। अप्रार्थी द्वारा वाचपूड सूचना गायने पर मोड़ भी पंचायत/साक्ष्य/गनाह पैदा नहीं करे से भी प्रार्थी को सुनिश्चित कर सुनिश्चित है प्रार्थी को फसल के आवक है और अपूरणीय क्षति की कारित संभावित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को प्रप पर पब शिफ्ट Act r.w. 039 R182 cpc लीकार किया जाकर अप्रार्थी को जारी अधार्ड मिस्कोलता तापसलभूमि इस आक्षेप के पाठ किया जाता है कि व बज्रस्त भूमि पर पंजीयन प्रमाण नहीं करे और प्रार्थी को शांतिपूर्ण पंचायत से मोड़ फसल नहीं देवे। प्रार्थी फसलशुमार होकर नम्बर के कम होकर भूमि के समय सत्यान है। </p> | |


 12/03/25

उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला झालान्द्र (राज.)